

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला -बडवानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 522 / 2010  
संस्थित दिनांक-22.12.2010

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र  
ठीकरी, जिला बडवानी

..... अभियोगी

वि रु द्ध

रामकुमार पिता रामकेर पाल, उम्र 42 वर्ष,  
निवासी हंसपुरा नौबस्ता कानपुर, (उ.प्र.)

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री एल.के.जैन अधिवक्ता ।

—:: निर्णय ::—  
(आज दिनांक 21/09/2017 को घोषित)

**01.** आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 176/10 के आधार पर दिनांक 29.10.2010 को समय लगभग प्रातः 04:30 बजे स्थान लोक मार्ग फोर लाइन गुरुद्वारा के पास ग्राम सांगवी में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक नं. यू.पी.-78 ए.टी.-8759 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कार कार क्र. जी.जे.-5 एम.सी.-4841 को टक्कर मार कर उसने सवार पिंटू उर्फ पद्माकर पिता मुरलीधर, विजय पिता वालजी, जयमिल पिता वासुदेव की ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती के लिये भा.द.वि. की धारा-304(ए) (3शीर्ष) का अभियोग है ।

**02.** प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा बचाव पक्ष की ओर से मृतक पिंटू उर्फ पद्माकर तथा जयमिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही होना स्वीकार की गई है ।

**03.** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.10.2010 को सुबह 6:00 बजे जयमिल सोनी ने थाना ठीकरी में ट्रक क्रमांक यू.पी.-78 ए.टी.-8759 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आज वह तथा विजय सोनार एवं पिंटू कार नम्बर जी.जे.05 सी.एम. 4841 में सुरत से इंदौर जा रहे थे, गाड़ी को पिंटू चला रहा था। ठीकरी के पास ग्राम-सांगवी में इंदौर की ओर से आ रही ट्रक क्रमांक यू.पी.-78 ए.टी.-8759 के चालक ने अपने ट्रक को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी कार को सामने से टक्कर मारी जिसे उनके कार चालक पिंटू तथा विजय की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा उसे सिर में सामने

की और गाल पर, दोनों पैरों में गुठने तथा शरीर में चोटे आयी है। गाड़ी का नुकसान हुआ है। वह विजय और पिंटू की लाश मौके पर छोड़ कर रिपोर्ट करने आया है। जयमिल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 176/10 दर्ज कर घायल का मेडिकल परीक्षण कराया। घटना स्थल को नक्शामौका बनाया। मृतकों के शव का परीक्षण कराया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर आरोपी से ट्रक क्रमांक यू.पी.-78 ए.टी.-8759 दस्तावेजों सहित जप्त की गई ईलाज के दौरान जयमिल की भी मृत्यु हो गई। विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

**04.** उक्त अनुसार आरोपी का भादवि की धारा- 304(ए) (3शीर्ष) का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। दफ़्त की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

**05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-**

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 29.10.2010 को लगभग सुबह 04:30 बजे स्थान लोक मार्ग फोर लाइन गुरुद्वारा के पास ग्राम सांगवी पर ट्रक क्रमांक यू.पी.-78 ए.टी.-8759 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर पिंटू, विजय, जयमिल की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती?

**-:सकारण निष्कर्ष:-**  
:-

**06.** उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पंकज अ.सा.4 का कथन है कि मृतक विजय उसका भाई था। पिंटू और जयमिल उसके साथ काम करते थे। वर्ष 2010 में विजय और उसके साथ पिंटू तथा जयमिल कार से इंदौर आ रहे थे। रास्ते में ठीकरी के पास उनकी कार दुर्घटना हो गयी, किसी ट्रक वाले ने पिंटू को टक्कर मार दी थी। उक्त दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी फोन पर मिली थी। हरीशचंद अ.सा.5, प्रसवे अ.सा.6 तथा वासुदेव अ.सा.7 ने ही ठीकरी के पास कार दुर्घटना में पिंटू, विजय और जयमिल की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। वासुदेव अ.सा.7, जयमिल की लाश पंचायतनामा **प्रदर्श पी-10** पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। उक्त तीनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। अतः कार तथा ट्रक दुर्घटना में उक्त तीनों व्यक्तियों की मृत्यु होना प्रमाणित होता है।

**07.** डॉ.डी.एस.चौहान अ.सा.1 ने भी दिनांक 29.10.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी के आरक्षक जीवन के द्वारा लाये जाने के मृतक विजय पिता बालजी, निवासी- सुरत, गुजरात के शवपरीक्षण करने पर उसकी मृत्यु सिर में आई चोटों के कारण दुर्घटनात्मक होना बनायी है तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श पी-1** भी प्रमाणित किया है। बबनराव चौधरी अ.सा.2 ने दिनांक 29.10.2010 को थाना ठीकरी में फरियादी जयमिल द्वारा थाने पर आकर ट्रक क्रमांक यू.पी.-78 ए.टी.-8759 के चालक के विरुद्ध उसकी कार क्रमांक जी.जे-05 सी.एम-4841 को सामने से टक्कर मारकर पिंटू और विजय की मृत्यु कारित करने तथा फरियादी के सिर में चोट आने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी-2** दर्ज कराने के कथन किये हैं।

08. बी.जी.तँवर अ.सा.3 थाना ठीकरी के आपराध क्रमांक 176/10 की विवेचना के दौरान नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाने, मृत पिंटू और विजय की लाश का सफीना फॉर्म प्रदर्श पी-4,5 उनकी लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी-6,7 बनाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने कार क्रमांक जी.जे.05 सी.एम. 4841 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-8 का बनाया है, उसने आरोपी के पेश करने पर उक्त ट्रक क्रमांक यू.पी.-78 ए.टी.-8759 उसके दस्तावेज एवं आरोपी की चालक अनुज्ञप्ति प्रदर्श पी-9 जप्त की थी।

09. बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे जो केश डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी उसमें ट्रक चालक का नाम नहीं था तथा जप्ती पंचनामे प्रदर्श पी-9 में भी ट्रक मालिक का नाम भी उसके द्वारा नहीं लिखा गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि साक्षीगण पंकज, जयमिल और महावीर ने अपने कथन के दौरान उक्त ट्रक चालक और उसके मालिक का नाम नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के मालिक श्री रौनकसिंह के इस संबंध में कोई कथन लेखबद्ध नहीं किये कि दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना के समय उक्त ट्रक कौन व्यक्ति चला रहा था तथा ट्रक मालिक की ओर से ट्रक सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के लिये अधिकृत व्यक्ति श्री सुनील कुमार पाण्डेय से भी उक्त ट्रक के दुर्घटना के समय चलाने वाले व्यक्ति के नाम के संबंध में कथन लेखबद्ध नहीं किये थे लेकिन, साक्षी ने सुझाव से इंकार किया है कि उसने असत्य विवेचना किये या असत्य कथन कर रहा है।

10. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक, स्थान और समय पर उक्त ट्रक क्रमांक यू.पी.-78 ए.टी.-8759 लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण से चलाकर करने का विजय, पिंटू और जयमिल की कार को सामने से टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने जो की मानववध की श्रेणी में नहीं आता कोई कथन नहीं किया। बी.जी.तँवर ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है किसी भी साक्षी ने उसे ट्रक चालक के रूप में आरोपी का नाम नहीं बताया था तथा ट्रक मालिक रौनकसिंह और उसके अधिकृत प्रतिनिधी सुनील कुमार पाण्डेय से भी उसने दुर्घटना के समय उक्त ट्रक चलाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं पूछा और उनके कथन भी इस संबंध में लेखबद्ध नहीं किये। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है, तथा उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।

11. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पुर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी रामकुमार पिता रामकेर पाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी हंसपुरा नौबस्ता कानपुर, (उ.प्र.) को भा.द.वि. की धारा-304(ए) (3शीर्ष) के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

12. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी-78 ए.टी-8759 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है। अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.